कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 2631/11–सी–FP/UP/Water/155091/2022, लखनऊ, दिनांकः फरवरी 16 ,2023

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी।

विषयः– जनपद–ललितपुर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत जाखलौन–बिरधा, धौरा, बालाबेहट, कड़ेसरा कला और मउ ग्राम समूह पेयजल योजना में पेय जल पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु प्रभावित 2.024059 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 6.137750 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 8.161809 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 878 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक–2319/11–सी–FP/UP/Water/155091/2022, दिनांक 16.01.2023 एवं आपका पत्रांक–2208/33–1, दिनांक 06.02.2023

महोदय,

इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में इंगित की गयी कमियों का निराकरण आपने अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 06.02.2023 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसके परीक्षणोपरान्त पुनः निम्नलिखित कमियाँ/अभिलेखों का अभाव पाया गयाः–

1. ऑनलाइन भाग–2 में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उल्लंघन किये जाने का उल्लेख किया गया है, किन्तु उल्लंघन के फलस्वरूप दण्डात्मक एन0पी0वी0 की वचनबद्धता, एच0–2 केस के फलस्वरूप जमा धनराशि की रसीद तथा एच0–2 केस को प्रशमित करने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
2. ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13 में 4.04 हे0 दुगने अवनत वनभूमि की के0एम0एल0 फाइल, Geo Referenced Digital Map, SoI Toposheet & उपयुक्तता प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया है।
3. प्रस्ताव की दो प्रतियों में संलग्न किये गये जिलाधिकारी के प्रमाण पत्र में जिलाधिकारी की मोहर नहीं लगी है। अतः मोहर युक्त जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न करें।
4. हार्डकापी भाग–2 के क्रमांक–9 एवं स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उल्लंघन न किये जाने का उल्लेख किया गया है, जबकि ऑनलाइन भाग–2 में उल्लंघन किये जाने का उल्लेख किया गया है, जोकि विरोधाभाष है। अतः सही स्थिति का उल्लेख कर संशोधित हार्डकापी भाग–2 एवं स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
5. ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–15 में पूर्व का त्रुटिपूर्ण स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट को डिलीट कर उपरोक्तानुसार संशोधित स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड करें।
6. प्रस्ताव में संलग्न पेनड्राइव में अपलोड की गयी गैर वनभूमि की के0एम0एल0 फाइल ऑनलाइन में अपलोड की गयी के0एम0एल0 फाइल से भिन्न है तथा पेनड्राइव में प्रस्तावित वनभूमि की के0एम0एल0 फाइल अपलोड नहीं है। अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल, जिसमें प्रस्तावित एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की के0एम0एल0 फाइल हो, पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न करें।

अतः कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03 प्रतियॉ प्राप्त कराकर, इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 2631 /11–सी–FP/UP/Water/155091/2022, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन प्रभाग, ललितपुर।
2. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), ललितपुर।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

o/c

Acy-228